

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स. 27(3)(3) पदो./अभि/2025/61-70

जयपुर, दिनांक: 20.02.2026

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2023-24 व 2024-25 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(Review) करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्न अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-12) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1.	श्री मुरारी लाल वर्मा/सन्तराम	UR	01-04-2023

- उपरोक्त के अतिरिक्त रिक्त विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री राजेश कुमार शर्मा का चयन वर्ष 2023-24 से निरस्त कर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2024-25 में रिक्ति की दिनांक 01-04-2024 के विरुद्ध किया जाता है। वर्तमान में यह प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य करते रहेंगे।
- इसी प्रकार रिक्त विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री कमलेन्द्र सिंह शक्तावत का चयन प्रशासनिक अधिकारी के पद से वर्ष 2024-25 से निरस्त कर इन्हें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदनावत किया जाता है।
- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का पात्र है पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। तालिका में वर्णित अधिकारी श्री वर्मा के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।

*sd*  
(तिरुपति कुमार गुप्ता)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त निदेशक अभियोजन .....
- उप निदेशक अभियोजन, .....
- संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयाध्यक्ष ।
- रक्षित पत्रावली ।

*sd*  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर 20/2/26